शोभादेवी vs न्यू पार्थ डवलपर्स

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से (2023/413)
	20/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 [illegible] अन्य राज्य क[illegible] व्यस्त है। अतः पत्रावली पू[illegible] दिनांक 19/4/24 को पेश हों।
	19/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 [illegible] अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/4/24 को पेश हों।
	26/4/24	पत्रावली पेश की। प्रार्थीया एवं अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थीया। वादीया ने स्वयं पत्रावली का निरीक्षण किया है अब इस प्रकरण का आगे चलाने जाने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दो वर्ष से कम की बचत पश्चात धारित दफ्तर हो।

[illegible] शर्मा जी
J.D. by near
26/4/24

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)